

सेवा में,

अध्यक्ष प्रबन्ध समिति,
गाँधी पॉलिटिकल,
मुज़फ्फरनगर।

द्वारा : प्रधानाचार्य/सचिव, गाँधी पॉलिटिकल, मुज़फ्फरनगर।

विषय : पद प्रवक्ता सिविल पर पुनः पदभार ग्रहण करने हेतु।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक सम्बंधित प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक: 22/09/2023 का सुलभ सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जिसके क्रम में प्रार्थी आज आपके समक्ष दिनांक: 24/11/2023 की पूर्वाह्न से पूर्व में कार्यरत पद प्रवक्ता सिविल पर पुनः पदभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हुआ है।


अतः श्रीमान जी से सानुरोध विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी को पूर्व में कार्यरत पद प्रवक्ता सिविल पर आज दिनांक: 24/11/2023 की पूर्वाह्न से पुनः पदभार ग्रहण कराने की कृपा करे।


सादर।

दिनांक: 24/11/2023

संगलनक- उपरोक्तानुसार

प्रार्थी


(अंकित सिंह) DIC

Recd Copy

24/11/23

आदेश

शासनादेश सं०-2928/सोलह-2-2023-130(ई)2016, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 09-11-2023 एवं निदेशालय के पृ०सं०-37593-99/ई-स्था०राज० (ए-345), कानपुर दिनांक 14-11-2023 द्वारा संस्था में कार्यरत श्री अंकित सिंह, व्याख्याता सिविल अभियंत्रण के प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-08-2023 में उल्लिखित पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत श्री अंकित सिंह का व्याख्याता सिविल अभियंत्रण पद से दिनांक 23-11-2023 से त्याग-पत्र स्वीकार किया गया है।

अतः उपरोक्त के अनुपालन में श्री अंकित सिंह को शासनादेश में उल्लिखित तिथि 23-11-2023 की साथ से व्याख्याता सिविल अभियंत्रण पद से पदमुक्त किया जाता है। शासनादेशानुसार श्री अंकित सिंह का व्याख्याता सिविल अभियंत्रण, राजकीय पॉलीटेक्निक, बिजनौर के पद पर कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा।

(अशोक कुमार)
प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, बिजनौर।

पत्रांक ~~1397-148~~ स्था०पी०एफ०/2023-24

दिनांक : 23-11-2023

प्रति निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, कानपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (प०क्षेत्र), दौराला-मेरठ।
3. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर को शासनादेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रधानाचार्य, गाँधी पॉलीटेक्निक, गुजपफरनगर।
6. श्री अंकित सिंह, व्याख्याता सिविल अभियंत्रण (संस्थागत)।
7. लेखा प्रभारी (संस्थागत)।

(अशोक कुमार) 23/11/2023
प्रधानाचार्य